"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मई 2014— ज्येष्ठ 7, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-139/सात-1/2013. — कृषि भूमि पर प्रीमियम के उद्ग्रहण के प्रयोजन से प्रीमियम के निर्धारण एवं अधिरोपण के परिवर्तन संबंधी विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 175-6477-सात-ना (नियम), दिनांक 6 जनवरी, 1960, संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 11-7-सात-शा-8-89, भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2000 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ.2-113/सात-1/2008, रायपुर, दिनांक [illegible] अक्टूबर 2013 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (तीन) सहपठित धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति स विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कक्ष क्रमांक एस-23, महानदी भवन, मंत्रालय, कैपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर जिला रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिसूचनाओं में,-

जहां कहीं भी शब्द "उपखण्ड अधिकारी" एवं "उपखण्डीय पदाधिकारी" आया हो के स्थान पर, शब्द "सक्षम प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th May 2014

NOTIFICATION

No. F 4-139/Seven-1/2013 .— The following further draft amendment in the Department's amended Notification No. 175-6477-VII-N (Rules), dated 6th January, 1960, amended Notification No. F-11-7-VII-S-8-89, Bhopal, dated 24th January, 2000 and Notification No. 2-113/Seven-1/2008, Raipur, dated 24th October, 2013, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 59 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), regarding the Alteration of Assessment and Ijposition of Premium, for the purpose of levy of premium of agricultural land, hereby, published as required under sub-section (3) of Section 258 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette :

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Room No. S-23, Mahanadi Bhawan, Mantralays Capital Complex, Naya Raipur, District Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said Notifications;

For the words "Sub-Divisional Officer", wherever it occurs, the words "Competent Authority" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.